

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2016/माघ 20, 1937

No. 364]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2016/MAGHA 20, 1937

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

का.आ. 424(अ).—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) में संदर्भित भूमि के क्षेत्र की सीमा शहरी क्षेत्रों में 20 (बीस) हेक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्रों में 40 (चालीस) हेक्टेयर होगी।

[फा. सं. 13011/04/2015-एलआरडी]

हुकुम सिंह मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2016

S.O. 424(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the Central Government, hereby, notifies that the limit of extent of land referred to in sub-section (1) of section 46 of the said Act shall be 20 (twenty) hectares in urban areas and 40 (forty) hectares in rural areas.

[F. No. 13011/04/2015-LRD]

HUKUM SINGH MEENA, Jt. Secy.